



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

2 ज्येष्ठ, 1947 (श०)

संख्या - 237 राँची, शुक्रवार,

23 मई, 2025 (ई०)

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

संकल्प

15 मई, 2025

विषय :-भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के तहत अनुसंधान हेतु अनुसंधानकर्ता को मोबाईल फोन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निर्गत संकल्प में संशोधन के संबंध में ।

सं०सं०:-05/वि० को0-5/62/2024-2934--भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के तहत अनुसंधान हेतु अनुसंधानकर्ता को मोबाईल फोन की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा संकल्प संख्या-490 दिनांक-27.01.2025 निर्गत किया गया है। पुलिस मुख्यालय स्तर पर विश्लेषण किये जाने के पश्चात उक्त संकल्प की कंडिका-4.(iii)(b), 4.(iii)(c), कंडिका-5 को संशोधित करने एवं एक अतिरिक्त निर्देश को सम्मिलित किया जाना सामयिक एवं व्यवहारिक बताते हुए उक्त संकल्प में आंशिक संशोधन एवं एक अतिरिक्त निर्देश जोड़ने का प्रस्ताव महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-361/ बजट दिनांक 17.03.2025 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया है।

2. उक्त के आलोक में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के तहत अनुसंधान हेतु अनुसंधानकर्ता को मोबाईल फोन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निर्गत संकल्प संख्या-490 दिनांक-27.01.2025 में निम्नवत् संशोधित करने का निर्णय लिया गया है:-

(i) निर्गत संकल्प की कंडिका-4. (iii) (b) में निम्नांकित प्रावधान है :-

"संबंधित अनुसंधानकर्ता का स्थानांतरण होने की स्थिति में अनुसंधानकर्ता आवंटित मोबाईल सेट संबंधित विभाग/कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे। तत्पश्चात् ही संबंधित अनुसंधानकर्ता का अंतिम वेतन प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा ।"

तथा कंडिका-4 (iii)(c) में निम्नांकित प्रावधान है:-

"संबंधित अनुसंधानकर्ता की प्रतिनियुक्ति होने की स्थिति में अनुसंधानकर्ता आवंटित मोबाईल सेट संबंधित विभाग / कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे। तत्पश्चात् ही संबंधित अनुसंधानकर्ता के वेतनादि की निकासी की कार्रवाई की जा सकेगी ।"

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"क्रय किया गया मोबाईल फोन क्रय किये जाने की तिथि से जब तक कि, उसके स्थान पर दूसरा/नया मोबाईल फोन लिया जाना वांछित नहीं हो, तब तक अनुसंधानकर्ता के पास ही रहेगा। अनुसंधानकर्ता के जिला से स्थानांतरण, अन्यत्र प्रतिनियुक्ति, प्रोन्नति की स्थिति में अनुसंधानकर्ता इस मोबाईल फोन को अपने साथ ले जा सकेंगे / रखेंगे एवं स्थानांतरित जिला में प्रोन्नत पद पर अनुसंधानकर्ता के रूप में इसी मोबाईल फोन का उपयोग करेंगे। इसके लिए वह e-sakshya App में अपना जिला/थाना का पदस्थापन के स्थान को/प्रोन्नत पद को परिवर्तित (Change) करा लेंगे।"

(ii) निर्गत संकल्प की कंडिका-5 में निम्नांकित प्रावधान है :-

"यदि किसी अनुसंधानकर्ता को राज्य सरकार के किसी योजना के अंतर्गत मोबाईल सेट अनुमान्य है तो, ऐसी स्थिति में संबंधित अनुसंधानकर्ता किसी एक श्रोत से ही मोबाईल सेट की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे ।"

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"यदि किसी अनुसंधानकर्ता को राज्य सरकार के किसी अन्य योजना के अंतर्गत मोबाईल सेट अनुमान्य है तो, ऐसी स्थिति में संबंधित अनुसंधानकर्ता किसी एक श्रोत से ही मोबाईल सेट की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं ।

परन्तु, यदि किसी अनुसंधानकर्ता को राज्य सरकार से किसी अन्य योजना के अंतर्गत मोबाईल सेट पूर्व से प्राप्त है, लेकिन पूर्व से धारित मोबाईल फोन Android Version-13 से कमतर (Lower Version) है, तो वैसे अनुसंधानकर्ता इस योजना के तहत मोबाईल फोन क्रय करने के लिए अनुमान्य होंगे ।

या, किसी अनुसंधानकर्ता के पास पूर्व से धारित मोबाईल फोन उसके पदनाम से है, जिसे स्थानांतरित होने के पश्चात् दूसरे पदाधिकारी को सौंपा जाना है, तो वैसे अनुसंधानकर्ता इस योजना के तहत मोबाईल फोन क्रय करने के लिए अनुमान्य होंगे ।"

(iii) निर्गत संकल्प की कंडिका-5 के पश्चात् नया उप कंडिका-5 (a) निम्नवत् अंतःस्थापित किया जाता है:-

" मोबाईल फोन उन्हीं अनुसंधानकर्ताओं को अनुमान्य होगा, जिनकी सेवा संपुष्ट हो गयी हो तथा मोबाईल क्रय किये जाने की तिथि को 04 (चार) वर्ष से अधिक की सेवा अवधि शेष हो ।

परंतु पुलिस मुख्यालय, झारखण्ड के स्तर से इस संबंध में निर्गत किये जानेवाले विस्तृत दिशा-निर्देश की तिथि से विगत दो वर्ष लगातार अनुसंधान कार्य में संलग्न नहीं रहने वाले अथवा अनुसंधान का कार्य नहीं करने अथवा अनुसंधानकर्ता नहीं रहनेवाले पदाधिकारी को इस योजना के तहत मोबाईल फोन अनुमान्य नहीं होगा ।"

3. पूर्व में निर्गत संकल्प संख्या-490 दिनांक-27.01.2025 को इस हद तक संशोधित किया जाता है ।

वंदना दादेल,
सरकार के प्रधान सचिव ।
